

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, मैनपुरी।

विज्ञापित संख्या:- 1665 / व्यवस्थापन/2021-22/दिनांक:जानवरी 12, 2021

विज्ञापित


तृतीय वर्ष 2021-22 की आवकारी नीति विषयक शारानादेश संख्या-03/2021/2828/155 ई-2/तेरह-2020-02/2020 दिनांक 08.01.2021 एवं आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-21017/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आवकारी नीति/2021-22 दिनांक: 09.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2021-22 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 15.01.2021 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2021(मध्याह्न 12:00 बजे) से दिनांक 22.01.2021(मध्याह्न 12:00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से द्वितीय चरण में दिनांक 23.02.2021(मध्याह्न 12:00 बजे) से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर विक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.mainpuri.nic.in, विभागीय वेबसाइट www.pldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।



(महेन्द्र पाल) 12/01/2021

जिला आवकारी अधिकारी,
मैनपुरी।



(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,
मैनपुरी।

विज्ञापित संख्या:- 1666-1668 / व्यवस्थापन/2021-22/तददिनांकित।

- प्रतिलिपि:- 1. सम्पादक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापित सःशुल्क न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा विल जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मैनपुरी को उक्त वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(महेन्द्र पाल) 12/01/2021

जिला आवकारी अधिकारी,
मैनपुरी।